रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2689] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937
No. 2689] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3387(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, ओड़िशा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, ओड़िशा कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) श्री सुरेश चंद्र मोहन्ती, —अध्यक्ष
प्लाट संख्या 237/ए, शहीद नगर,
भुवनेशवर-751007

(ख) डा. सौमिन्द्रा प्रसाद दास, —सदस्य
प्लाट संख्या 551,
शहीद नगर, भुवनेशवर-751007

(ग) निदेशक, —सदस्य सचिव
(पर्यावरण)-सह विशेष सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, ओड़िशा सरकार

2. प्राधिकरण, ओड़िशा के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, ओड़िशा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट हों ।

4. प्राधिकरण, ओड़िशा का विनिश्चय ओड़िशा राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर आधारित होगा ।

5. प्राधिकरण, ओड़िशा की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार ओड़िशा सरकार से परामर्श करके, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओड़िशा का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) श्री विजय केतन पट्नायक, भा.व.से. (सेवानिवृत्त), —अध्यक्ष
प्लाट सं. 57, जगमोहन नगर, जगमारा
भुवनेश्वर-751030

(ii) श्री भानु प्रताप सिंह, —सदस्य
बी/29, कृष्णा गार्डन कॉम्पलैक्स, फेज-1, बारबरी (जगमारा), डाक-खांदागिरी,
भुवनेश्वर-751030

(iii) डॉ. दिबाकर स्वेन, —सदस्य
प्लाट सं. 18/1738, ग्रीन पार्क, 8/2,
शेलेश्री विहार, निकट जगन्नाथ मंदिर,
भुवनेश्वर-751021

(iv) आचार्य, प्रताप कुमार मोहंती, —सदस्य
आचार्य, समुद्री विज्ञान विभाग, बेरहमपुर विश्वविद्यालय, बेरहमपुर,
भुवनेश्वर-760007

(v) डॉ. देवेन्द्र कुमार राउत, —सदस्य
प्लाट सं. 337, आचार्य विहार, भुवनेश्वर-751013

(vi) डॉ. सुरेन्द्र कुमार बिश्वाल, —सदस्य
मुख्य वैज्ञानिक और प्रभाग, खनिज प्रसंस्करण विभाग, सीएसआईआर-खनिज और भौतिक
प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर-751018

(vii) श्री बैरागी चरण परस्थी, —सदस्य
16-बसंत विहार, ब्रहमेश्वर पटना, टांकापाणी रोड,
भुवनेश्वर-751018

(viii) डॉ. शरत चंद्र नायक, —सदस्य
सह आचार्य और भारसाधक, मुख्य वैज्ञानिक, अखिल भारतीय शुष्क भूमि कृषि शमनवय
अनुसंधान, फुलबणी, ओड़िशा

(ix) श्री श्रीधर बहेरा, —सदस्य
प्लाट सं. 656(2), बेहेरासाही (निकट अखंडल मणी चौक), न्यापाली, भुवनेश्वर-751012

(x) डॉ. आर.सी. मोहंती, —सदस्य
बी-154, बीडीए ड्यूपलैक्स, बारामुंडा, भुवनेश्वर-751003, ओड़िशा

(xi) श्री अंबिका चरण मोहंती —सदस्य
रोहिणीश्री, निकट डीवी कार्यालय,
खपुरिया, मधुपटना, कटक

(xii) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, —सचिव

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओड़िशा का अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओड़िशा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

IndiaCode

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओड़िशा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा, और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जाता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।

9. ओड़िशा सरकार, प्राधिकरण, ओड़िशा तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओड़िशा के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु एक अभिकरण अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय तथा संभारतंत्रीय सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन उसके और सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. ओड़िशा, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओड़िशा को बैठक की फीस, यात्रा भत्ते, महंगाई भत्ते, ओड़िशा सरकार के संबंधित नियमों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

[सं. जे-11013/49/2008-1ए. II(1)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2015

S.O. 3387(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Odisha (hereinafter referred to as the Authority for Odisha) comprising of the following members, namely:—

(a)	Sri Suresh Chandra Mohanty, Plot No. 237/A, Saheed Nagar, Bhubaneswar – 751007.	—Chairman
(b)	Dr. Saumindra Prasad Das, Plot No. 591, Saheed Nagar, Bhubaneswar – 751007.	—Member
(c)	Director (Environment)-cum- Special Secretary, Forest and Environment Department, Government of Odisha.	—Member Secretary

2. The Chairman and Member of the Authority for Odisha shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority for Odisha shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said Gazette notification.

4. The Authority for Odisha shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee for the State of Odisha constituted under paragraph 5.

5. For the purposes of assisting the Authority for Odisha, the Central Government, in consultation with the State Government of Odisha, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Odisha, comprising of the following members, namely :—

(i)	Shri Bijay Ketan Patnaik IFS (Retd.), Plot No. 57, Jagamohan Nagar, Jagamara, Bhubaneswar – 751030.	—Chairman
(ii)	Sri Bhanu Pratap Singh, B/29, Krisna Garden Complex, Phase-1, Barbari (Jagamara), Post-Khandagiri, Bhubaneswar – 751030.	—Member
(iii)	Dr. Dibakar Swain, Plot No. 18/1738, Green Park 8/2, Sailashree Vihar, Near Jagannath Temple, Bhubaneswar – 751021.	—Member

(iv)	Prof. Pratap Kumar Mohanty, Professor, Department of Marine Sciences, Berhampur University, Berhampur – 760007 (Odisha).	—Member
(v)	Dr. Debendra Kumar Rout, Plot No. 337, Acharya Vihar, Bhubaneswar – 751013.	—Member
(vi)	Dr. Surendra Kumar Biswal, Chief Scientist and Head, Mineral Processing Department, CSIR- Institute of Mineral and Material Technology, Bhubaneswar – 751018.	—Member
(vii)	Sri Bairagi Charan Prusty, 16- Basant Vihar, Brahmeswarpatna, Tankapani Road, Bhubaneswar – 751018.	—Member
(viii)	Dr. Sarat Chandra Nayak, Associate Professor and I/C Chief Scientist, All India Co-ordinate Research on Dry Land Agriculture, Phulbani, Orissa.	—Member
(ix)	Sri Sridhar Behera, Plot No. 656(2), Behera Sahi (Near Akhandalamani Chhak), Nayapalli, Bhubnaeswar – 751012.	—Member
(x)	Dr. R C. Mohanty, B-154, BDA Duplex, Baramunda, Bhubaneswar-751003, Orissa.	—Member
(xi)	Shri Ambika Charan Mohanty, Rohinishri, Near DV Office, Khapuria, Madhupatna, Cuttack.	—Member
(xii)	Member Secretary, State Pollution Control Board, Odisha	—Secretary

IndiaCode

6. The Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee, Odisha shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Odisha shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said Gazette notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Odisha shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

9. The Government of Odisha shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for Odisha and the State Level Expert Appraisal Committee, Odisha, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority for Odisha and the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Odisha shall be paid in accordance with the concerned rules of the Government of Odisha.

[No. J-11013/ 49/ 2008- IA. II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.